2011:CGHC:10510-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : **माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश एवं**

माननीय श्री राधेश्याम शर्मा, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 395/1996

शिवराम एवं अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायाधीश राधेश्याम शर्मा

सही/-
आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश
दिनांक: 12/12/2011

निर्णय हेतु दिनांक**: 13/12/2011** को सूचीबद्ध करें।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : **माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश एवं**

माननीय श्री राधेश्याम शर्मा, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 395/1996

अपीलार्थी :

1. शिवराम, पिता अलख साहू, आयु 42 वर्ष
2. शिवरात्रि पिता अलख साहू, आयु 35 वर्ष,
3. मोहन, पिता अलख साहू, आयु 20 वर्ष,
4. प्रभु, पिता अलखराम साहू, आयु 45 वर्ष,
5. गेंदुराम, पिता अलखराम साहू, आयु 27 वर्ष

सभी निवासी: करेतरा, थाना: बोड़ला, जिला:

राजनांदगांव (मध्य प्रदेश) (अब छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी : मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

अपील अंतर्गत धारा 374 (2) दंड प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति:

- **अपीलार्थीयों की ओर से:** श्री सुरेंद्र सिंह (वरिष्ठ अधिवक्ता) सहित श्री एन.के. मेहता एवं श्री अजीत सिंह (अधिवक्ता)।

- **राज्य की ओर से :** श्री रवींद्र अग्रवाल (अधिवक्ता)।

निर्णय

(दिनांक: 13.12.2011)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा** द्वारा उदघोषित किया गया:

1) यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़, शृंखला न्यायालय, कवर्धा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 34/1993 में 22 फरवरी 1996 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, अपीलार्थीयों को दोषसिद्ध करते हुए उन्हें निम्नलिखित अनुसार दंडित किया गया है, साथ ही सभी सजाएं साथ-साथ भोगे जाने का निर्देश दिया गया है :-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोषसिद्धि	**दण्डादेश**
अंतर्गत धारा 148 भारतीय दंड संहिता	प्रत्येक को 2 वर्ष का सश्रम कारावास
अंतर्गत धारा 302/149 भारतीय दंड संहिता	प्रत्येक को आजीवन कारावास और 2000/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा करने में व्यतिक्रम किए जाने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास
अंतर्गत धारा 302/149 भारतीय दंड संहिता सरजूराम (अ.स.-2) को उपहति कारित करने के लिए	प्रत्येक को 1 वर्ष का सश्रम कारावास
अंतर्गत धारा 323/149 भारतीय दंड संहिता चतुरराम (अ.स.-3) को उपहति कारित करने के लिए	प्रत्येक को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

दोषसिद्धि	दण्डादेश
अंतर्गत धारा 323/149 भारतीय दंड संहिता द्वारिका प्रसाद (अ.स.-4) को उपहति कारित करने के लिए	प्रत्येक को 1 वर्ष का सश्रम कारावास
अंतर्गत धारा 323/149 भारतीय दंड संहिता उर्मिला बाई (अ.स.-5) को उपहति कारित करने के लिए	प्रत्येक को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

(2) मामले के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं :-

मृतक महाबीर और अभियुक्त व्यक्तियों के कृषि भूमि एक-दूसरे से लगे हुए थे। मृतक ने अपने खेत में मेड़ (दो खेतों के बीच मिट्टी से बनी एक छोटी विभाजन रेखा) बनाई थी, जो दोनों पक्षों के खेतों को अलग करती थी। अभियुक्त व्यक्तियों ने उस मेड़ पर अपने खेत की कुछ मिट्टी डाल दी थी, जिसे पहले मृतक और उसके परिवार के सदस्यों ने बनाया था। यह बात मृतक को स्वीकार नहीं थी।दिनांक 08.12.1992 को शाम लगभग 04:00-5:00 बजे, मृतक महाबीर, उसके बेटे सरजूराम (अ.स.-2), चतुरराम (अ.स.-3), द्वारिका प्रसाद (अ.स.-4) और मृतक की बहू उर्मिला बाई (अ.स.-5) अपने खेत पर गए और अभियुक्तों द्वारा उनकी मेड़ पर डाली गई मिट्टी को वापस अभियुक्तों के खेत में फेंकना शुरू कर दिया। जब अभियुक्त व्यक्तियों को इस बात का पता चला, तो वे वहां पहुंचे और मृतक तथा उसके परिवार के सदस्यों को मेड़ से उनके खेत में मिट्टी फेंकने से रोकने की कोशिश की। आरोप यह है कि इसी प्रक्रिया के दौरान उनके बीच झगड़ा हुआ और अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक तथा चार घायल गवाहों—सरजूराम (अ.स.-2), चतुरराम (अ.स.-3), द्वारिका प्रसाद (अ.स.-4) और उर्मिला बाई (अ.स.-5) पर हमला कर दिया। दिनांक 12.12.1992 को महाबीर ने उसे कारित की गयी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। सरजूराम (अ.स.-2) द्वारा पुलिस थाना में मामले की सूचना दी गई, जिसके आधार पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/1) दर्ज की गई। डॉ. आर.डी. नरिया **(अ.स.-7)** द्वारा शव परीक्षण किया गया। उन्होंने मृतक के शरीर पर दो बाहरी चोटें पाईं। बाएँ हाथ के अग्रभाग पर एक फटा हुआ घाव था, जिस पर 4 टांके लगे थे। पीठ पर एक तिरछा नीला निशान था। मृतक की आयु लगभग 65 वर्ष थी। आंतरिक परीक्षण करने पर, डॉक्टर को सिर के ऊपरी हिस्से पर लगभग 4 सेमी का फ्रैक्चर मिला और उस क्षेत्र में एक्स्ट्रा ड्यूरल हैमरेज (मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली और खोपड़ी के बीच रक्तस्राव) पाया गया। शव परीक्षण करने वाले शल्य चिकित्सक ने राय दी कि मृत्यु का कारण सिर की चोट की वजह से लगा सदमा था। शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श-पी/3 है।

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने भोलाराम (अ.स.-1), सरजूराम (अ.स.-2), चतुरराम (अ.स.-3), द्वारिका प्रसाद (अ.स.-4) और उर्मिला बाई (अ.स.-5) के अभिसाक्ष्यों पर भरोसा किया और यह निष्कर्ष दिया कि, अपीलार्थीयों ने एक विधिविरुद्ध जमाव गठित किया था, वे घातक हथियारों के साथ बल्वा में शामिल हुए थे और उस विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए उन्होंने मृतक महाबीर की हत्या कारित की तथा उन्होंने सरजूराम (अ.स.-2), चतुरराम (अ.स.-3), द्वारिका प्रसाद (अ.स.-4) और उर्मिला बाई (अ.स.-5) को साधारण चोटें पहुँचाईं। अत:, वे उपर्युक्तानुसार दण्ड के लिए उत्तरदायी हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) अपीलार्थीयों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेंद्र सिंह ने तर्क दिया कि **वि**धिविरुद्ध जमाव के गठन का कोई साक्ष्य नहीं है; यह आपसी मारपीट का मामला था, जिसमें 3 अपीलार्थीयों—शिवराम (अ-1), प्रभु (अ-4) और गेंदुराम (अ-5) को भी चोटें आईं, इसलिए धारा 149 की सहायता से दोषसिद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता। जहाँ तक धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि का संबंध है, उन्होंने तर्क दिया कि यह सिद्ध नहीं हुआ है कि मृतक की खोपड़ी पर चोट किसने मारी थी, जो घातक साबित हुई; मृतक को केवल दो

बाहरी चोटें आईं थीं, जो साधारण प्रकृति की थीं और खोपड़ी की आंतरिक चोट अचानक गिरने के कारण भी हो सकती थी, जैसा कि शव परीक्षण करने वाले शल्य चिकित्सक ने स्वीकार किया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि मृतक महाबीर की खोपड़ी में हुए आंतरिक फ्रैक्चर के संगत कोई बाहरी चोट मौजूद नहीं थी, ऐसी स्थिति में किसी को भी धारा 302 के अंतर्गत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इन तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी केवल अपने व्यक्तिगत कृत्यों हेतु दंड के लिए के उत्तरदायी होंगे।

(4) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता, श्री रवींद्र अग्रवाल ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना और सत्र न्यायालय के अभिलेखों का भी सूक्ष्मता से अवलोकन किया।

(6) भोलाराम (अ.स.-1) एक स्वतंत्र गवाह है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब वह घटनास्थल के पास पहुँचा, तो अभियुक्त पक्ष और मृतक पक्ष के बीच कहा-सुनी हो रही थी। मृतक महाबीर ने उसे बुलाया और बताया कि अभियुक्त व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा मेड़ को लेकर था। उसने मृतक से उसके खेत के बारे में पूछा और सलाह दी कि 5 गांवों के पंचों और पटवारी आदि को बुलाकर विवाद का निपटारा कर लें। इसके बाद, जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसने झगड़े का शोर सुना और देखा कि दोनों पक्ष लाठियों से एक-दूसरे के साथ लड़ रहे थे। सभी लोग अपनी-अपनी लाठियां चला रहे थे। इसके बाद, वह घटनास्थल से चला गया। अभियोजन पक्ष द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था। यद्यपि, लोक अभियोजक द्वारा प्रति-परीक्षण में उससे कई प्रश्न पूछे

गए, लेकिन उसके मुख्य परीक्षण में दिए गए अभिकथन के विरुद्ध उसके साक्ष्य में ऐसी कोई ठोस बात अभिलेख पर नहीं लाई जा सकी।

(7) सरजूराम (अ.स.-2**)** मृतक का पुत्र है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि मेड़ के विवाद को लेकर हुई उपरोक्त लड़ाई में, सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने उन पर लाठियों से हमला किया। उसने विशेष रूप से अभिसाक्ष्य दिया कि उसके पिता (मृतक) पर गेंदुराम (अ-5), शिवराम (अ-1) और प्रभु (अ-4) ने लाठियों से हमला किया, जिससे उनके बाएं अग्रभाग, छाती, सिर के पिछले हिस्से और गुप्तांगों पर चोटें आईं। प्रति-परीक्षण के दौरान, उसने स्वीकार किया कि इसी घटना के दौरान अभियुक्त व्यक्तियों को भी चोटें आई थीं, जिसके लिए , चतुरराम (अ.स.-3), द्वारिका प्रसाद (अ.स.-4), उर्मिला बाई (अ.स.-5) और उसके विरुद्ध प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में एक दाण्डिक मामला लंबित है। प्रति-परीक्षण में, उसका सम्मुखन प्रथम सूचना प्रतिवेदन **(**प्रदर्श-पी**/1)** की अंतर्वस्तु से कराया गया, जिसमें उसने यह दर्ज नहीं कराया था कि अभियुक्त व्यक्तियों ने उसके पिता की खोपड़ी पर लाठी से वार किया था। वह प्रथम सूचना प्रतिवेदन में इस विलोपन का स्पष्टीकरण नहीं दे सका और कहा कि उसने यह बताया था कि अभियुक्तों ने उसके पिता के सिर पर भी लाठी से हमला किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) चतुरराम (अ.स.-3) मृतक का दूसरा पुत्र है। उसने भी उसी प्रकार अभिसाक्ष्य दिया है। हालांकि, प्रति-परीक्षण में वह भी अपने 'केस डायरी' कथन में रही इस विलोपन का स्पष्टीकरण नहीं दे सका कि उसके पिता महाबीर (मृतक) की खोपड़ी पर अभियुक्तों के हमले के कारण लाठी की चोट लगी थी। मृतक के तीसरे पुत्र, द्वारिका प्रसाद (अ.स.-4) ने अपने अन्य दो भाइयों की तरह घटना के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है, लेकिन वह भी अपने केस डायरी कथन में रही इस विलोपन का स्पष्टीकरण नहीं दे सका कि उसके पिता की

खोपड़ी पर लगी चोट अभियुक्तों द्वारा लाठी से मारी गई थी। उसने बयान दिया कि उसने पुलिस को बताया था कि उसके पिता की खोपड़ी और गुप्तांगों पर चोटें आई थीं, और यदि यह बात उसके केस डायरी कथन में नहीं है, तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। उर्मिला बाई (अ.स.-5), चतुरराम (अ.स.-3) की पत्नी है। इस प्रकार, वह मृतक की बहू है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक पर सभी 5 अभियुक्त व्यक्तियों ने लाठियों से हमला किया था। प्रति-परीक्षण में, उसने स्वीकार किया कि वे अपनी मेड़ से अभियुक्तों के खेत में मिट्टी फेंक रहे थे। हमला होने के बाद, उसके ससुर मेड़ पर सिर के बल गिर पड़े थे।

(9) श्री सुरेंद्र सिंह ने तर्क दिया है कि यह आपसी मारपीट का मामला था, जिसमें कई अभियुक्त व्यक्तियों को भी चोटें आई थीं। हमें अभिलेखों से पता चलता है कि इसी घटना के संबंध में, अभियुक्त पक्ष द्वारा भी एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श-डी**/3**) दर्ज कराई गई थी और सरजूराम (अ.स.-2), चतुरराम (अ.स.-3), द्वारिका प्रसाद (अ.स.-4), महाबीर (अब मृतक) और उनके परिवार की एक महिला के विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। शिवराम (अ-1), गेंदुराम (अ-5), प्रभु (अ-4) नामक अभियुक्त व्यक्तियों को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया था और उनके शरीर पर कई चोटें पाई गई थीं। उनकी चोट के संबंध में प्रतिवेदन को प्रदर्श-डी/9, प्रदर्श-डी/10 और प्रदर्श-डी/11 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हम यह भी ध्यान में लेते हैं कि उक्त घटना में शिवराम (अ-1) के दो दांत उखड़ गए थे और उन्हें भी परीक्षण के लिए भेजा गया था, जिसके संबंध में प्रतिवेदन प्रदर्श-डी**/12** प्राप्त हुई थी। अन्वेषण के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष के कब्जे से भी लाठी और टांगिया बरामद किए गए थे, जिन्हें जब्ती पत्रक प्रदर्श-डी/5, डी/6, डी/7 और डी/8 के माध्यम से जब्त किया गया था। दो अपीलार्थीयों के 'बेड-हेड टिकट' (अस्पताल के अभिलेख) भी जब्ती पत्रक प्रदर्श-डी**/4** के माध्यम से जब्त किए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभिलेख पर मौजूद उपरोक्त साक्ष्यों से स्पष्ट रूप से यह उभर कर आता है कि यह दोनों पक्षों के बीच अचानक हुए आपसी लड़ाई का मामला था। अन्वेषण के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष के कब्जे से भी लाठी और टांगिया बरामद किए गए थे, जिन्हें जब्ती पत्रक प्रदर्श-डी/5, डी/6, डी/7 और डी/8 के माध्यम से जब्त किया गया था। दो अपीलार्थीयों के 'बेड-हेड टिकट' (अस्पताल के अभिलेख) भी जब्ती पत्रक प्रदर्श-डी**/4** के माध्यम से जब्त किए गए थे। अभिलेख पर मौजूद उपरोक्त साक्ष्यों से स्पष्ट रूप से यह उभर कर आता है कि यह दोनों पक्षों के बीच अचानक हुए आपसी लड़ाई का मामला था। इसलिए, सभी अपीलार्थीयों पर आन्वयिक आपराधिक दायित्व अधिरोपित करने के आशय से धारा 149 की सहायता लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसमें कोई विवाद नहीं है कि उसी घटना में 3 अभियुक्त व्यक्तियों को चोटें आईं, जिसके लिए मृतक पक्ष के विरुद्ध धारा 147, 148, 324, 323 और 325, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। इस आपराधिक मामले के लंबित होने और उपरोक्त अपीलार्थीयों को आई चोटों की बात को सरजूराम (अ.स.-2) ने भी स्वीकार किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) सर्वोच्च न्यायालय ने, ***कँवरलाल एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2003 क्रि.ल.ज. 62*** के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया था कि आपसी लड़ाई के मामले में, धारा 149 का सहारा लेकर दोषसिद्धि स्वीकार्य नहीं है; और जब तक यह नहीं दिखाया जाता कि किसी विशेष अभियुक्त ने चोट पहुँचाई है, तब तक उसे दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

(11) सर्वोच्च न्यायालय ने, **धरणीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2010) 7 एस.सी.सी. 759** के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया कि जहाँ दोषसिद्धि धारा 149 की सहायता से की जाती है, वहाँ एकमात्र प्रश्न यह निर्धारित करना होता है कि क्या उस

जमाव में पाँच या अधिक व्यक्ति शामिल थे और क्या उन व्यक्तियों का धारा 141 में निर्दिष्ट एक या अधिक 'सामान्य उद्देश्य' था। सामान्य उद्देश्य के निर्धारण के लिए, हमले से पहले, हमले के समय और उसके बाद उस जमाव के प्रत्येक सदस्य का आचरण, साथ ही अपराध का हेतुक, सुसंगत विचारणीय तत्त्व हैं। यद्यपि, विधिविरुद्ध आशय गठित करने का समय महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह संभव है कि एक जमाव, जो शुरुआत में विधिपूर्ण था, बाद में विधिविरुद्ध हो जाए। अंततः, अभियोजन पक्ष से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई विशेष या स्वतंत्र भूमिका को बताए, बशर्ते यह सिद्ध हो जाए कि वे एक विधिविरुद्ध जमाव गठित किया है के सदस्य थे और उन्होंने मृतक पर हमला किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) वर्तमान मामले में, सबसे पहले अभियुक्तों के खेत में मेड़ से मिट्टी फेंकने को लेकर अभियुक्त पक्ष और मृतक पक्ष के बीच कहा-सुनी हुई; भोलाराम (अ.स.-1) ने मामला शांत कराने की कोशिश की; उसके बाद, उनके बीच आपसी लड़ाई हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के सदस्य घायल हुए और मृतक ने 4 दिनों के बाद दम तोड़ दिया। हमें अभिलेख से पता चलता है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शा सके कि अभियुक्त व्यक्तियों ने विधिविरुद्ध जमाव गठित किया है बनाया था या उनका कोई कथित सामान्य उद्देश्य था। हमें साक्ष्यों में यह भी नहीं मिलता कि अभियुक्त व्यक्तियों ने बल्वा में भाग लिया और वास्तव में, कथित विधिविरुद्ध जमाव गठित किया है के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए उन्होंने शिकायतकर्ता पक्ष के सदस्यों पर हमला किया।

(13) पूर्वोक्त कारणों से, हम धारा 149, भारतीय दंड संहिता की सहायता से अपीलार्थीयों की दोषसिद्धि को बरकरार रखने में असमर्थ हैं और इसे अपास्त किया जाता है।

(14) जहाँ तक धारा 302, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि का संबंध है, हम शव परीक्षण प्रतिवेदन से पाते हैं कि मृतक की खोपड़ी पर आई आंतरिक चोट के संगत कोई बाहरी चोट नहीं थी। अभियोजन पक्ष द्वारा मृतक की मेडिको लीगल केस प्रतिवेदन को प्रमाणित नहीं किया गया है। केवल आंतरिक परीक्षण के दौरान ही शव परीक्षण करने वाले शल्य चिकित्सक को खोपड़ी की उक्त चोट का पता चला। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष दिया था कि उक्त चोट निश्चित रूप से उन अभियुक्तों द्वारा पहुँचाई गई होगी जो मृतक पर लाठियों से हमला कर रहे थे, जिससे उसे 2 साधारण बाहरी चोटें आई थीं। डॉ. आर.डी. नरिया (अ.स.-7) ने प्रति-परीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि मृतक के सिर के ऊपरी भाग पर हुए उक्त फ्रैक्चर के संगत कोई बाहरी चोट मौजूद नहीं थी और उक्त फ्रैक्चर गिरने के कारण भी हो सकता था। उर्मिला बाई (अ.स.-5) ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब अभियुक्तों ने मृतक पर हमला किया, तो वह मेड़ से सिर के बल नीचे गिर पड़े थे। मृत्यु का कारण मृतक के सिर पर लगी चोट थी। हमारा यह विचार है कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा कि मृतक के लिए घातक साबित हुई सिर की चोट, अभियुक्तों द्वारा लाठी के प्रहार से ही पहुँचाई गई थी। यदि उक्त चोट लाठी के प्रहार से लगी होती, तो वहाँ एक संगत बाहरी चोट अवश्य होती, जो हमें इस मामले में नहीं मिलती है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थीयों को मृतक की हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराना न्यायसंगत नहीं था। हमारे इस विचार को ***काठी ओधाभाई भीमाभाई एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य, ए.आई.आर 1993 एस.सी. 1193*** में दिए गए निर्णय से बल मिलता है। हमारी राय में, जिन संबंधित अपीलार्थीयों ने मृतक पर हमला किया, वे मृतक को साधारण उपहति कारित करने के लिए दंड के उत्तरदायी होंगे, न कि उसकी हत्या के लिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) हमें अभिलेख से पता चलता है कि सरजूराम (अ.स.-2), चतुरराम (अ.स.-3), द्वारिका प्रसाद (अ.स.-4) और उर्मिला बाई (अ.स.-5) के चोट प्रतिवेदन को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया हैं। उनकी चोट प्रतिवेदन अप्रमाणित दस्तावेजों के रूप में अभिलेख पर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इन साक्षियों को साधारण उपहति कारित करने के लिए केवल उनके मौखिक साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराया है। यद्यपि मृतक सहित उपरोक्त घायल व्यक्तियों की चोट प्रतिवेदन प्रमाणित नहीं हुई है, लेकिन अभिलेख पर यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि आपसी लड़ाई में अपीलार्थीयों ने लाठी से उपरोक्त गवाहों और मृतक पर हमला किया था, जिन्हें साधारण चोटें आईं और अपीलार्थी उपरोक्त व्यक्तियों को साधारण उपहति कारित करने के अपने व्यक्तिगत कृत्य के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) तदनुसार, यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की पूर्वोक्त धाराओं के अंतर्गत अपीलार्थीयों को दी गई दोषसिद्धि और दण्डादेश को अपास्त किया जाता है। सरजूराम (अ.स.-2) को साधारण उपहति कारित करने के लिए प्रभु (अ-4) और शिवराम (अ-1) को धारा 323 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता हैं। चतुरराम (अ.स.-3) को साधारण उपहति कारित करने के लिए गेंदुराम (अ-5) और शिवराम (अ-1) को धारा 323 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता हैं। द्वारिका प्रसाद (अ.स.-4) को साधारण उपहति कारित करने के लिए मोहन (अ-3) और गेंदुराम (अ-5) को धारा 323 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता हैं। मृतक महाबीर को साधारण उपहति कारित करने के लिए गेंदुराम (अ-5) और प्रभु (अ-4) को धारा 323 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता हैं। उर्मिला बाई (अ.स.-5) को साधारण उपहति कारित करने के लिए शिवराम (अ-1) और शिवरती (अ-

2): को धारा 323 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता हैं और उन सभी को 'अब तक भोगी जा चुकी दण्ड से दण्डित किया जाता हैं, जो इस मामले में लगभग 5 महीने होती है। सजाओं को एक साथ भोगने का निर्देश बरकरार रखा जाता है।

सही/- **सही/-**

सुनील कुमार सिन्हा **आर.एस. शर्मा**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by : Vinay Awasthi, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur